04

सं० / 43020 / एमएसीपी / जे०सी०बी० / मुप्रअ / का--2 (बी)

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मु०प्र०अ० कार्यालय

विशय : संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय / अंतर सेवा संगठनों में ऑफसेट मशीनमैन / हेड मैकेनिक (एम एवं ई) / मैकेनिक (मैकेनिकल) संवर्ग के कार्मिकों को सतत् सेवा के 20 / 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत द्वितीय / तृतीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034 / 3 / 2008–स्था० (डी), दिनांक 19 मई 2009 तथा 27 / 28 सितम्बर 2016 में विहित नियमों एवं दिषा–निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 20 / 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय / अंतर सेवा संगठनों में ऑफसेट मशीनमैन / मैकेनिक (मैकेनिकल) संवर्ग के अधोलिखित कार्मिकों को द्वितीय / तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:–

क्र० स०	नाम एवं जन्मतिथि	वर्तमान पद	वर्तमान कार्यालय	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	एमएसीपी हेतु सेवा गणना की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का वेतन लेबल
1.	श्री रोशन लाल (08 / 04 / 63)	ऑफसेट मशीनमैन	जे०सी०बी०	22 / 06 / 92	13 / 01 / 99	द्वितीय	13 / 01 / 19	लेवल–7
2.	श्री विरेन्द्र सिंह यादव (09 / 05 / 66)	ऑफसेट मशीनमैन	वा०से०मु०	12 / 03 / 91	19 / 03 / 99	द्वितीय	19 / 03 / 19	लेवल–7
3.	श्री इन्दर राज सिंह (19 / 06 / 66)	हेड मैकेनिक (एम एवं ई)	जे०सी०बी०	16 / 02 / 89	16 / 02 / 89	तृतीय	16 / 02 / 19	लेवल–6
4.	श्री राज कुमार (20 / 03 / 59)	मैकेनिक (मैकेनिकल)	जे०सी०बी०	19 / 01 / 89	19 / 01 / 89	तृतीय	19 / 01 / 19	लेवल–6

2. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(I)क(I) के अंतर्गत, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगले लेवल में वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है।

4. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा–निर्देशों के अध्याधीन होंगें।

रवीन्द्र कुमार

(रवीन्द्र कुमार)
व०प्र०अ० / का–2 (बी)
31 दिसम्बर 2018

वा०से०मु० / पी० सी० – I I   जे०सी०बी०

प्रतिलिपि :

उप मुप्रअ (का एवं वि) के निजी सहायक   संबंधित कर्मचारी   सूचना पटल

स०से०मु० / अं०से०सं के कर्मचारी संघ   मुप्रअ वेबसाइट